कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

** महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क (UIPA)**

के अन्तर्गत

उद्यमी चयन बावत् प्रस्ताव

आयुक्त
सह सदस्य सचिव (UIPA)
नगर पालिक निगम
रायगढ़

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1323 / न.पा.नि. / 2023 रायगढ, दिनांक 18 / 08 / 2023

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

नगर पालिक निगम, रायगढ द्वारा **महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA** के अन्तर्गत उद्यम स्थापित किये जाने हेतु स्थानीय युवाओं/उद्यमियों/स्व सहायता समूहों से "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) दिनांक **31/08/2023** को सांय 5:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। कार्य का विस्तृत विवरण एवं नियम तथा शर्तें निगम के वेबसाईट https://nagarnigamraigarh.com से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन शुल्क (2000.00 रू.) डी.डी. के माध्यम से आवेदन के साथ प्रेषित किया जाना होगा।

टीप :- यह "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) निकाय के वेबसाईट **https://nagarnigamraigarh.com** पर प्रदर्शित है। इसके सम्बन्ध में आगामी निर्देश एवं संशोधन उक्त वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किये जावेंगे। कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति/समूह/उद्यमी उक्त वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन कर सकेंगे।

17.8.23
आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ

प्रस्तावना :–

छत्तीसगढ राज्य की **"महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA"** अन्तर्गत नगर पालिक निगम, रायगढ स्थानीय उद्योग एव उद्यमिता के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृण कर शहरों को स्वालम्बी और आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना की गई है नगरीय क्षेत्रों में आजीविका के केन्द्र के रूप में महात्मा गांधी अर्बन इण्ड्रस्टीयल पार्क की स्थापना की जा रही है योजना के तहत् शहरी आजीविका विकास को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए स्थानीय, शासकीय एवं अन्य आवश्कताओं को पूरा करने के लिए शहरी उत्पादन एवं सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना का मूल उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों के लिए रोजगार एवं उद्यमिता के माध्यम से अतरिक्त आय के साधन विकसित करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्र में कुटीर एवं सेवा उद्योग हेतु प्लग एण्ड प्ले आधारित उद्योग क्षेत्र एवं वातावरण विकसित किया जा रहा है।

परिभाषाएं :–

आयुक्त	–	नगर पालिक निगम, रायगढ के आयुक्त
सक्षम प्राधिकारी	–	यथास्थिति आयुक्त / कलेक्टर जिला–रायगढ
इच्छुक आवेदक	–	कार्य में नियोजन हेतु स्थानीय युवा / उद्यमी / स्व सहायता समूह
UIPA	–	महात्मा गांधी अर्बन इण्ड्रस्टीयल पार्क।
रूचि की अभिव्यक्ति	–	**महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क** UIPA" के अन्तर्गत उद्यम स्थापित किये जाने हेतु स्थानीय युवाओं / उद्यमियों / स्व सहायता समूहों के चयन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज।
कार्य	–	रूचि की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत अपेक्षित कार्य।
प्रस्ताव	–	रूचि की अभिव्यक्ति के अनुक्रम में इच्छुक आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव।
निकाय	–	नगर पालिक निगम, रायगढ

सामान्य अनुदेश :–

1– कार्य हेतु "इच्छुक आवेदक" इस दस्तावेज के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य पर नियोजन हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है।

2– कार्य हेतु "प्रस्ताव" तैयार किये जाने में होने वाले समस्त व्ययों का वहन कार्य हेतु "इच्छुक आवेदक" के द्वारा किया जावेगा, किसी भी रूप में इसका भुगतान निकाय द्वारा नहीं किया जावेगा।

3– कार्य हेतु "प्रस्ताव" प्रस्तुत करने के पूर्व प्रचलित कार्य की अवधारणा एवं तदनुसार निकाय क्षेत्र में प्रचलित एवं प्रस्तावित कार्य की जानकारी प्राप्त कर लिया जाना उचित होगा।

4– कार्य हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) का प्रारूप नियम तथा शर्ते निगम के वेबसाईट https://nagarnigamraigarh.com से डाउनलोड किया जाकर वेबसाईट से "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) का प्रारूप नियम "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) दस्तावेज का मूल्य रूपये **2000.00** का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ के नाम से देय हो

प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय दस्तावेज मूल्य के रूप में एक पृथक लिफाफें में दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5– एक स्थानीय युवा/उद्यमी/स्व सहायता समूह द्वारा एक कार्य हेतु मात्र एक "प्रस्ताव" ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। किसी एक आवेदक अथवा भागीदार द्वारा एक से अधिक "प्रस्ताव" प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत "प्रस्ताव" निरस्त कर दिये जावेंगे।

6– कार्य हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक **31/08/2023** के पूर्व कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा, एवं आवश्यक होने पर समय भी विस्तारित किया जा सकता है। इन सूचनाओं का प्रकाशन मात्र वेबसाईट पर ही किया जावेगा।

7– "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) का "प्रस्ताव" हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जाना होगा।

8– कार्य हेतु प्रस्तुत "प्रस्ताव" में संलग्न समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित किया जाकर संलग्न करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर "प्रस्ताव" में प्रस्तुत दस्तावेजों की मूल प्रति अवलोकनार्थ अथवा अन्य वांछित सह दस्तावेज आहूत किये जा सकेंगे।

9– कार्य हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व "इच्छुक आवेदक" को निकाय में प्रचलित कार्य एवं उसकी अवधारणा का भलीभांति अध्ययन कर लेना चाहिए एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंकाओं के निवारण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

10– "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) "प्रस्ताव" प्रस्तुत करने के पूर्व दस्तावेज में उल्लेखित बिन्दुओं का भलीभांति अध्ययन करते हुए तद्नुसार वांछित दस्तावेजों की पूर्ति किया जाकर दस्तावेज शुल्क, अमानत राशि एवं कार्य का तकनीकी "प्रस्ताव" (पंजीकृत चार्टड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) पृथक–पृथक लिफाफों में बंद कर अंकित करते हुए इन लिफाफों को एक मूल लिफाफें में सील कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित समयावधि के पूर्व रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा।

11– निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त "प्रस्ताव" पर विचार नहीं किया जावेगा, एवं यह निरस्तीकरण योग्य होगा।

12– **दिनांक अनुसूची**

अ– "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) जारी किये जाने का दिनांक **17/08/2023**

ब– प्रीबिड मिटिंग दिनांक **25/08/2023** स्थल – नगर निगम, रायगढ

स– कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी email- npnraigarh@ymail.com के माध्यम से प्राप्त किये जाने हेतु अंतिम दिनांक **25/08/2023**

द– "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने का अंतिम दिनांक 31/08/2023 समय सायं 05:00 बजे स्पीड पोस्ट के माध्यम से।

ई – प्राप्त प्रस्ताव खोले जाने का दिनांक **01/09/2023** समय पूर्वान्ह 11.30 बजे स्थान कार्यालय प्रशासनिक भवन, नगर पालिक निगम, रायगढ।

13– कार्य हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले ''प्रस्ताव'' के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये **2000.00** का टीडीआर/एफडीआर जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि के अभाव में प्रस्तुत ''प्रस्ताव'' पर विचार नहीं किया जावेगा।

14– कार्य हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' (EOI) का ''प्रस्ताव'' सीलबंद लिफाफें में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ के पते पर दिनांक **31/08/2023** को सायं 5:00 बजे तक उल्लेखित अनुसार प्रेषित किया जा सकेगा, जिसके अंदर निम्नानुसार दस्तावेजों के लिफाफें पृथक से रहेंगे। लिफाफे के उपर **''रूचि की अभिव्यक्ति महात्मा गांधी अर्बन इण्ड्रस्टीयल पार्क''** लिखा होगा।

लिफाफा (अ)

1. लाभार्थी नगर निगम क्षेत्र के रहवासी होने संबंधित प्रमाण पत्रो (निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड **इनमे से कोई भी एक**) की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. लाभार्थी द्वारा स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्यम को लगने वाले पूंजी निवेश हेतु क्षमता प्रमाण पत्र (सी.ए. द्वारा अभिप्रमाणित) संलग्न करना होगा। जिसमें प्रस्तावित उद्यम हेतु पूंजी की व्यवस्था किन माध्यमों से की जाने, की जानकारी होगी।
3. प्रस्तावित उद्यम हेतु लागत राशि का 10 प्रतिशत बैक सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र।
4. **100 रू. के स्टाम्प पेपर** पर आपके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों के सत्य होने का प्रमाण पत्र एवं प्री कान्ट्रेक्ट इंटीग्रिटी पेक्ट नोटरी कराकर प्रस्तुत करना होगा।

लिफाफा (ब)–

1. अमानत राशि रूपये **25000.00** का टीडीआर/एफडीआर जिसकी अवधि 05 वर्ष से अन्यून हो एवं जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ के पक्ष में देय हो।
2. आवेदन शुल्क **2000.00 रू.** आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से डी.डी. के रूप में जमा करना होगा।

लिफाफा (स)– तकनीकी प्रस्ताव – आवेदक के पंजीयन प्रमाण पत्र, पदाधिकारियों एवं आवेदक में नियोजित/कार्यरत् व्यक्तियों का विवरण,नियमावली अद्यतन कृत कार्यों का प्रमाणिक विवरण, जी.एस.टी पंजीयन इत्यादि परियोजना के आवश्यकता अनुरुप अन्य पंजीयन के साथ प्रस्तावित उद्यम का कार्ययोजना विवरण अनुसार।

15– ''रूचि की अभिव्यक्ति'' (EOI) ''प्रस्ताव'' की वैधता समयावधि में किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत ''प्रस्ताव'' वापस लेने पर उनके द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि निकाय द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

16– प्रस्तुत ''प्रस्ताव'' खोले जाने के उपरांत प्रस्ताव के वैधता समयावधि के दौरान आवेदक द्वारा उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अपेक्षा रखने पर उनके द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि राजसात की ली जावेगी।

17– कार्य हेतु प्रस्तुत ''रूचि की अभिव्यक्ति'' (EOI) प्रस्ताव की वैधता समयावधि ''प्रस्ताव'' प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक से 90 दिवस की होगी। ''प्रस्ताव'' प्रस्तुतकर्ता फर्मो की सहमति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे आवश्यकतानुसार समयावधि हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

18– कार्य हेतु प्राप्त वैध प्रस्तावों का मूल्यांकन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सम्पादित किये गये अथवा प्रचलित कार्यों के तकनीकी/वित्तीय पक्षों के मूल्यांकन के आधार पर युक्तियुक्त तरीके से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा।

19– कार्य हेतु प्राप्त किसी एक अथवा समस्त प्रस्तावों को निरस्त किये जाने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को रहेगा।

20– कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव दिनांक **01/09/2023** को पूर्वान्ह 11.30 बजे कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ में खोली जावेंगी। इस समय पर सम्बन्धित फर्मो के पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रहे सकेंगे।

21– कार्य हेतु किसी एक आवेदक के चयन उपरांत शेष फर्मो द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि उन्हें एक माह की समयावधि में वापस कर दी जावेगी।

22– कार्य हेतु चयनित आवेदक को उनके चयन की सूचना दिये जाने के उपरांत 07 दिवस की समयावधि में इस कार्य हेतु निकाय एवं चयनित आवेदक के मध्य अनुबंध हेतु चयनित आवेदक को 100 रु. के स्टाम्प सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

23– कार्य हेतु प्राप्त "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) प्रस्तावों के चयन के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार नियमानुसार चयन की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

24– कार्य के सम्बन्ध में सक्षम प्राधकारी अथवा "प्रस्ताव" प्रस्तुतकर्ता फर्मो के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में इसका निपटारा आर्बिट्रेटर जो कि कलेक्टर, जिला–रायगढ होंगे के द्वारा किया जावेगा। आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया आदेश दोनों पक्षों हेतु समान रूप से बंधनकारी रहेगा।

25– कार्य हेतु नियुक्त आवेदक की चयन प्रक्रिया –

1– इसमें उद्यम स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों को गुण दोष के आधार पर प्राप्तांक द्वारा किया जावेगा।

2– शहरी गोठान प्रबंधन समिति से प्राप्त अनुशंसा अनुसार उद्यमी का UIPA हेतु चयन जिला क्रियान्वयन एवं स्वीकृति समिति द्वारा किया जावेगा।

26– कार्य हेतु नियुक्त आवेदक को प्रथमतः 05 वर्ष हेतु अनुबंधित किया जावेगा, जिसके उपरांत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से इसे विस्तारित किया जा सकेगा।

27– कार्य हेतु नियुक्त आवेदक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में इसकी सूचना आवेदक को लिखित रूप में दिया जाकर उनसे इसका प्रतिवेदन आहूत किया जा सकेगा, एवं प्राप्त प्रतिवेदन असंतोषजनक होने की स्थिति में इससे असहमत होते हुए कार्य हेतु सम्पादित अनुबंध सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

28– कार्य हेतु नियुक्त आवेदक द्वारा परियोजनान्तर्गत उनके कृत कार्यों का मासिक प्रतिवेदन आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सह–दस्तावेजों सहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।

29– परियोजनान्तर्गत आवेदक द्वारा सृजित किये गये समस्त दस्तावेज निकाय की परिसम्पत्ति रहेगी, जिसका उपयोग आवेदक द्वारा अन्य कार्यों या अन्य स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकेगा।

30– कार्य के सम्बन्ध में समक्ष प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर आवश्यक सुझाव, निर्देश कार्य हेतु नियोजित आवेदक को दे सकेंगे, जिनका पालन नियोजित आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा।

31– कार्य के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी ई–मेल https://nagarnigamraigarh.com के माध्यम से दिनांक **25/08/2023** तक प्राप्त की जा सकती है।

उद्यमियों को बिजनेस प्लान के आधार पर मशीनरी तथा कार्यशील पूंजी हेतु बैंक से ऋण, विभिन्न योजनाओं अंतर्गत पात्रतानुसार अनुदान/सब्सिडी अथवा योजनांतर्गत किफायती ब्याज दर पर ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास विभाग द्वारा किये जायेंगे।

32 – उद्यमी, स्व –सहायता समूह (महिला/पुरूष/महिला–पुरूष मिश्रित), स्थानीय यूवा क्लब, स्थानीय संगठन या प्राईवेट व्यक्ति हो सकते हैं।

33 – कोई भी शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय संस्था, संगठन या युवा क्लब योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होंगे।

34 – उपरोक्त सभी प्रकार के लाभार्थी अनिवार्यतः नगर पालिक निगम रायगढ क्षेत्र के होने चाहिए।

35 – स्व–सहायता समूह का वित्तीय सहायता (वर्किंग केपीटल) उपलब्ध कराई जा सकती है, जो "0" प्रतिशत ब्याज पर देय होगा, यह बैंक ऋण से अलग UIPA की आंतरिक राशि से देय होगा। यह राशि चक्रिय निधि के तर्ज पर केवल स्व सहायता समूह को उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रदाय की गई ऋण राशि को स्व–सहायता समूहों द्वारा निर्धारित समयावधि में निकाय को वापस किया जावेगा।

36– चयनित उद्यमीयों के कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा निर्देशित विभिन्न प्रशिक्षण में भाग लिया जाना होगा।

37– स्व सहायता समुहों एवं व्यक्तिगत आवेदक एक ही व्यवसाय करना चाहते हैं तो UIPA में उद्योग लगाने हेतु व्यक्तिगत आवेदक को वरीयता दी जावेगी।

38– निजी व्यक्तियों/हितग्राही को मात्र स्थान उपलब्ध कराया जावेगा। मशीनरी या वर्किंग कैपिटल के लिए कोई वित्तीय सहायता नही दी जावेगी।

39– किसी भी यूनिट का साईज(डाइमेंशन) ऐसा हो कि उस ईकाई में कार्य करने वाले व्यक्ति सहजता से बैठ कर कार्य कर सकें। इकाई का अनुमानित कार्यक्षेत्र प्रति व्यक्ति न्यूनतम 15 वर्ग फुट के अनुसार होना उचित होगा।

40– इंण्डस्ट्रीयल पार्क में एकरूपता बनाये रखने हेतु आबंटित भूखण्ड के शेड का साईज,न्यूनतम स्पेस, शेड का कलर एवं अन्य नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा जारी सेपेशिफिकेशन के आधार पर तैयार किया जाना होगा। जो पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

समान्य नियम एवं शर्ते :-

- लगाये जाने वाला उद्यम कुटीर उद्योग, लद्यु उद्योग, मध्यम उद्योग आदि संचालन से ही संबंधित होना चाहिए, मादक एवं नशीली पदार्थों का उत्पादन, भण्डारण संबंधित उद्यम पूर्णतः वर्जित होगा।
- यूजर चार्ज आधारित कार्य स्थल (वर्क स्पेस/भूखण्ड) प्रदान किया जावेगा।
- यूजर चार्ज आधारित वर्क स्पेस/ भूखण्ड प्राथमिक रूप से निगम द्वारा तैयार कर प्रदान किया जावेगा। आगामी वर्क स्पेस हेतु अतिरिक्त निर्माण, संधारण, रंग रोगन, विद्युत देयक एवं विद्युत मीटर संयोजन से संबंधित समस्त कार्य हितग्राही की स्वंय की होगी।
- गौठानों एवं संबंधित क्षेत्रो में स्थानिय आवश्यकता और बाजार की संभावनाओं के आधार पर विविध उद्यम स्थापित किए जाने है। समान प्रकृति के उद्यम हेतु अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उद्यम को ही पात्रता/वरीयता दी जावेगी।
- श्रमिकों के वेतन/मानदेय/भत्ते इत्यादि के संदर्भ में श्रम विभाग छ.ग.शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- वर्क स्पेस उपलब्धता दिनांक से 01 माह के अंदर ईकाई स्थापना कार्य किया जाना अनिवार्य होगा तथा अधिकतम 03 माह में स्थापना कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में ईकाई स्थापना न करने पर स्थल उपलब्धता निरस्त कर अमानत राशि राजसात करते हुए अन्य इच्छुक आवेदकों को वरियता सूची के आधार पर वर्क स्पेस उपलब्ध कराई जायेगी।
- वर्क स्पेस में उद्यम संचालन अवधि 05 वर्ष के लिए होगी कार्य संतोषपद्र रूप से संचालित स्थल को केवल उद्यम संचालित करने के लिए अस्थायी रूप से नियमानुसार प्रदान किया जायेगा। स्थल का मालिकाना हक प्रदान नही किया जायेगा।
- इस रूचि की अभिव्यक्ति को दिशा निर्देशों के बिदुओं में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्रं./UIPA /संचा./2023–24/1836 अटल नगर दिनांक 30/05/2023 में अंर्तविरोध पाये जाने पर संचालनालय के पत्र मान्य होगा।
- संचालनालय द्वारा जारी उक्त दिनांक 30.05.2023 दिशा निर्देश इस रूचि की अभिव्यक्ति के अभिन्न भाग माने जावेंगे।

स्कोर मैट्रिक्स :-

- प्राप्त आवेदनों का समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर वरियता सूची तैयार की जायेगी। जिसके आधार पर उद्यम निर्माण हेतु स्थल आबंटित किये जायेगे।

1. पूंजी वर्गीकरण :-

इच्छुक उद्यमियों का अपने उद्यम में लगाये जाने वाले (अधिकतम पूंजी के लिए 20 अंक)

लागत (लाख)	अंक
रू 0 से 5.00 लाख तक	05 अंक
5.00 लाख से 10 लाख तक	10 अंक
10.00 लाख से 20 लाख तक	15 अंक
20 लाख से अधिक	20 अंक

2. कर्मचारी वर्गीकरण :–

इच्छुक उद्यमियों को अपने उद्यम में लगाये जाने वाले (संभावित कर्मचारी नियुक्त होने पर 20 अंक)

कर्मचारी संख्या	अंक
0 से 10	10 अंक
11 से 20	15 अंक
20 से अधिक	20 अंक

3. निगम के स्थानीय निवासियों/स्व सहायता समूह की महिलाओं को कार्य पर नियोजित करने पर, अधिकतम 10 अंक।

4. गतिविधि वर्गीकरण :–

गतिविधि	अंक
स्थान आधारित गतिविधि हो ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ हो सके	6
कच्चे माल की उपलब्धता एवं आपूर्ति स्थानीय स्तर से हो सके	6
चयनित गतिविधि गैर–प्रदूषणकारी एवं पर्यावरण के अलुकूल हो	8

5. कर्मचारियों को दिये जाने वाले मासिक वेतन (वेतन श्रमायुक्त द्वारा जारी परिश्रमिक) से अधिक वेतन/मानदेय दिये जाने पर – अधिकतम 10 अंक तक

6. प्रस्तुतीकरण (Presentation) पर 10 अंक।

7. नया Startup उद्यम अंकक्षा/उद्यम एवं जी.एस.टी. पंजीकृत (Udyan Aakanksha, GST Registration) होने पर 10 अंक इस तरह कुल 100 अंको पर मुल्यांकन किया जावेगा।

8. उद्यम स्थापित करने के इच्छुक स्थानीय युवाओं, उद्यमियों, स्व सहायता समूहों को अंक तालिका के आधार पर निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा चिन्हाकिंत किया जावेगा।

9. प्रथमतः एक प्रकृति के एक ही उद्यम का चयन किया जावेगा, यदि एक ही प्रकृति के एक से अधिक उद्यमी के अंक समान होने पर लॉटरी से चयन किया जावेगा।

10. उपलब्ध भूखण्ड/वर्क स्पेस से अधिक उद्यमी के आवेदन प्राप्त होने पर विविध प्रकृति के उद्यमियों को चयन विहित अंक प्रणाली के आधार पर अधिकतम अंक के आधार पर निगम द्वारा गठित चयन समिति के मूल्यांकन के आधार पर चयन किया जावेगा।

11. एक उद्यामी एक ही भूखण्ड के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, एक से अधिक भूखण्ड पर आवेदन मान्य नही होगा। (एक उद्यमी के परिवार से अन्य व्यक्ति आवेदन करने हेतु मान्य नहीं होगें)।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

संलग्न :– आवेदन पत्र का प्रारूप।

17.8.23

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण प्रपत्र–01

प्रति

आयुक्त सह सदस्य सचिव (UIPA)
नगर पालिक निगम,
रायगढ जिला–रायगढ (छ.ग.)

विषय :– '' महात्मा गांधी अर्बन इण्ड्रस्टीयल पार्क '' योजना अन्तर्गत उद्यमी चयन बावत् प्रस्ताव।
संदर्भ :– आपके कार्यालय का ''रूचि की अभिव्यक्ति'' (EOI) क्रमांक .... दिनांक ....

महोदय,

उपरोक्त विषयाकिंत कार्य हेतु संदर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में जारी ''रूचि की अभिव्यक्ति'' (EOI) का प्रस्ताव नगर पालिक निगम, रायगढ क्षेत्र में '' महात्मा गांधी अर्बन इण्ड्रस्टीयल पार्क '' योजना अन्तर्गत उद्यमी चयन बावत् जारी निर्देशों का भलीभांति अवलोकन, अध्ययन किये जाने के उपरांत तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्न :–

1– ***दस्तावेज शुल्क –***
डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक............. दिनांक ....
बैंक का नाम...
राशि रूपये ....

2– ***अमानत राशि –***
टीडीआर/एफडीआर क्र................दिनांक...........
बैंक का नाम...
राशि रूपये ....

3– आवेदक का पंजीयन नियमावली एवं अन्य वांछित जानकारी।

भवदीय
(आवेदक का नाम, पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर)

स्थानीय युवा /उद्यमी/स्व सहायता समूह के विवरण का प्रपत्र–02

1– आवेदक का नाम :

2– वैधानिक पता

3– दूरभाष क्रमांक

4– फैक्स/ईमेल पता

5– पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक

6– प्रस्तावित कार्यों हेतु सम्पर्क सुत्र/व्यक्ति का विवरण :

    1– नाम

    2– पदनाम

    3– पता

    4– दूरभाष क्रमांक

    5– फैक्स/ईमेल पता

7– प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता का विवरण :

    1– नाम

    2– पदनाम

    3– पता

    4– दूरभाष क्रमांक

    5– फैक्स/ईमेल पता

भवदीय
(आवेदक का नाम, पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर)

स्थानीय युवा/उद्यमी/स्व सहायता समूह के द्वारा अद्यतन कृत कार्यो का विवरण का

प्रपत्र–03

क्र.	कार्य का विवरण	वर्ष	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी

टीप :– कृपया उपरोक्त कार्यो के संदर्भ में शासकीय/अशासकीय आदेश/पत्राचार की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें।

भवदीय
(आवेदक का नाम, पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर)

स्थानीय युवा/उद्यमी/स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों का विवरण का प्रपत्र 04

क्र.	नाम	पदनाम	पता	टिप्पणी

टीप :– पंजीयन उपरांत जोड़े गये/विलोपित किये गये पदाधिकारियों का उल्लेख टिप्पणी के कॉलम में करें।

भवदीय
(आवेदक का नाम, पद मुद्रा
एवं हस्ताक्षर)

महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रीयल पार्क उद्यमी चयन हेतु

स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा होने वाले प्रस्ताव हेतु चेक लिस्ट

।। चेक लिस्ट।।

लिफाफा (अ)

01. निकाय क्षेत्र में निवासरत होने का प्रमाण पत्र
02. सी.ए. द्वारा अभिप्रमाणित क्षमता प्रमाण पत्र
03. बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र
04. शपथ पत्र (100 रू. स्टाम्प)

लिफाफा (ब)

01. अमानत राशि टी.डी.आर./एफ.डी.आर. राशि 25000.00
02. आवेदन शुल्क 2000.00 डी.डी.

लिफाफा (स)

01. विस्तृत तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव (सी.ए. द्वारा प्रमाणित डी.पी.आर.)
02. प्रस्तुतीकरण के एक स्व अभिप्रमाणित कापी।
03. अन्य उद्यम से संबंधित जानकारी यदि लाभार्थी देना चाहे तो।